राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	601/2015	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थीगण की बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 26/03/2012 पारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/11/2015 पारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की कार्यवाही हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26/03/2012 में शिथिलता प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की कार्यवाही तक के लिये अन्तरिम आदेश दिनांक 26/03/2012 में शिथिलता प्रदान की गयी है, जबकी क़ानूनी प्रावधानों के अनुसरण में बाद सुनवाई पक्षकारान प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचित करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था |

अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निस्तारण किये जाने तक विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 04 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विस्तृत विवेचन करते हुये शीघ्रता से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर